स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तरप्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 245, दिनांक 17–08–2024

कूटरचित ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड तैयार कर बेचने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्य मथुरा से गिरफ्तार, कलर प्रिन्टर, व मोबाइल फोन, कूटरचित ड्राईविंग लाइसेंस व आधार कार्ड बरामद।

दिनाकः 16–08–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को बड़े पैमाने पर अन्र्तजनपदीय कूटरचित ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड बनाने वाले गैंग के 02 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कलर प्रिन्टर, व मोबाइल फोन, कूटरचित दस्तावेज ड्राईवर लाइसेंस व आधार कार्ड बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– रूपकिशोर पुत्र रामरतन सिंह निवासी म0न0–261 नरसीपुरम् कालोनी, थाना रिफाइनरी, मथुरा उ0प्र0।

2– पुरूषोत्तम उर्फ पवन शर्मा पुत्र सुरेश चन्द्र शर्मा निवासी नगला काजी रावल वॉगर बल्देव रोड, थाना जमुनापार, मथुरा उ0प्र0 हाल पता राकेश शर्मा के मकान में नगला चिरंजी पेठ लक्ष्मीनगर, जमुनापर, मथुरा, उ0प्र0।

बरामदगी :–

1– 07 अदद ड्राइविंग लाइसेंस कूटरचित मूल प्रति।
2– 12 अदद ड्राईविंग लाइसेंस कूटरचित छायाप्रति।
3– 02 अदद आधार कार्ड कूटरचित छायाप्रति।
4– 03 अदद आधार कार्ड छायाप्रति।
5– 01 अदद आधार कार्ड मूल प्रति।
6– 01 अदद पेन कार्ड मूल।
7– 01 अदद डेबिड कार्ड
8– 01 अदद रंगीन प्रिन्टर मय चार्जर मय पावर लीड मय प्रिटिंग लीड।
9– 02 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन वीवो व ओपो कम्पनी।
10– 2200/–रूपये नकद
11– 01 आर0सी0 मय दो लिफाफा।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

श्रीजी मार्केट के पास काशीराम कट सर्विस रोड पर एक खोखे के बाहर थाना क्षेत्र रिफाइनरी, जनपद मथुरा समय–करीब 16.50 बजे दिनांक–16–08–2024

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को काफी दिनों से आगरा व आप–पास के जनपदों में कूटरचित तरीके से ड्राईविंग लाइसेंस व आधार कार्ड बनाने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 16–08–2024 को एस0टी0एफ0 आगरा की टीम जनपद मथुरा में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से भ्रमणशील थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि कूटरचित तरीके से आर0टी0ओ0 ऑफिस मथुरा के आस–पास उक्त गैंग के सक्रिय सदस्य जो काफी दिनों से कूटरचित तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस व आधार कार्ड में हेराफेरी कर रहे हैं, उक्त गैंग के दो सदस्य श्रीजी मार्केट के पास काशीराम कट सर्विस रोड पर एक खोखे के बाहर थाना क्षेत्र रिफाइनरी, जनपद मथुरा में बैठे काम कर रहे हैं। इस सूचना पर निरीक्षक श्री हुकुम सिंह व निरीक्षक श्री यतीन्द्र शर्मा हे0का0 दिनेश गौतम, हे0का0 प्रशान्त कुमार, हे0का0 पुष्पेन्द्र सिंह, हे0का0 दिनेश कुमार, हे0का0 कृष्णवीर सिंह, का0 प्रदीप कुमार, का0 हरपाल सिंह व चालक बृजकिशोर एसटीएफ फील्ड इकाई आगरा की टीम द्वारा आवश्यक घेराबन्दी कर उपरोक्त गैग के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया,जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ पर बताया कि यह लोग आस–पास के दलालों से आधार कार्ड व फोटो लेकर कूटरचित ड्राईविंग लाइसेंस तैयार करते हैं। उक्त लाइसेंस के कार्ड यह लोग इंकजैट पीवीसी चिप कार्ड फिलिप कार्ड व अमेजॉन से ऑनलाइन मंगवाते हैं एवं ऑनलाइन ही क्यू0आर0 जेनरेटर की साइड पर जाकर क्यू0आर0 कोड तैयार कर आर0टी0ओ0 के पूर्व में बने कार्डो पर हस्ताक्षर को छोड़कर अन्य डाटा इरेज करके दूसरा डाटा टाइप कर वहीं हस्ताक्षर बने रहने देते है और प्रिन्ट निकाल कर अपने ऐजेन्टों को दे देते है, जो देखने में ऑरिजनल (वास्तविक) कार्ड जैसे प्रतीत होते हैं। उक्त लाइसेंस को बनाने के एवज में यह लोग 2000–3000/–रूपये प्रति लाइसेंस लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना रिफाइनरी, जनपद मथुरा में मु0अ0स0 0192/2024 धारा 318 (4)/338/336(3)/340(2)61 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>आपराधिक इतिहास– रूपकिशोर पुत्र रामरतन सिंह निवासी म0न0–261 नरसीपुरम् कालोनी, थाना रिफाइनरी, मथुरा उ0प्र0।</u>

1– मु0अ0सं0–320/2018 धारा 420/467/468/471 भादवि0 थाना रिफाइनरी, जनपद मथुरा।

2– मु0अ0स0 0192/2024 धारा 318 (4)/338/336(3)/340(2)61 (2) बीएनएस थाना रिफाइनरी मथुरा।